passengers going to Port Blair from Calcutta and Madras have to apply to the Andamans Administration for booking the passage by ship; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) Because of the limited accommodation on board the ships, the booking of passages is regulated by the Andamans Administration to ensure that passages are available for different categories of passengers according to the needs and requirements.

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित छात्र

1806. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कितने विस्थापित छात्रों को केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है और उसकी वार्षिक रकम कितनी है ;

(ख) क्या छात्रवृत्तियां देते समय छात्र की योग्यता को भी ध्यान में रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). 1960-61 में जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं उनको ही शिक्षा के कोर्स को पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की सूचना के अनुसार धन-राशि मंजूर की जाती है। ऐसी मंजूरियों को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में 5,53,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं उनकी संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक नये विस्थापितों का सम्बन्ध है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिये प्राईमरी तथा मिडल स्कूल आवाजाही तथा सहायता शिविरों में स्थापित कर दिये गये हैं। राज्य सरकारों तथा शिविर कमाडरों द्वारा स्कूलों, कालिजों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उन पुराने छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था कर दी गई है जिनके माता-पिता शिविरों में हैं। शुल्क के भुगतान तथा पुस्तकें आदि खरीदने के लिये जो व्यय होगा इस की मंजूरी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा शिविर कमांडरों ने जो प्रस्ताव भेजे हैं वे विचाराधीन हैं। यह विचार किया गया है कि सैकन्ड्री स्कूलों तथ कालेजों में शिक्षा की सहायता उन छात्रों को दी जाये जो योग्य हों।

संस्कृत शिक्षा संस्थाओं को सहायता

1807. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकट काल में पंजाब की संस्कृत शिक्षा संस्थाओं को केन्द्र ने सहायता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब शिक्षा सभा ने केन्द्र सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है ;

(ग) क्या सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ निश्चय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, नहीं। कम से कम भारत सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड

1808. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड के कितने सदस्य हैं ;

(ख) क्या सदस्य मनोनीत होते हैं अथवा निर्वाचित ; और

(ग) इस बोर्ड के क्या कार्य हैं ; और इसके सदस्यों की क्या योग्यता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) केन्द्रीय संस्कृति मंडल में निम्नलिखित सदस्य है :—

अध्यक्ष

1. श्री दत्तो वामन पोतदार,
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा भवन,
387, नारायणपेठ, पूना।

सदस्य

2. श्री जे० एच० दवे,
भारतीय विद्या भवन,
चौपाटी रोड, बम्बई।
3. डा० आर० एन० दाण्डेकर,
विभागाध्यक्ष, संस्कृत और प्राकृत भाषाएं,
पूना विश्वविद्यालय, पूना।
4. प्रो० विश्वबन्धु,
निदेशक, विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसन्धान संस्थान, होशियारपुर।
5. श्री एम० एन० एम० त्रिपाठी,
उप-कुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6. डा० उमेश मिश्र,
सचिव, गंगानाथ झा अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद।
7. डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य,
संस्कृत विभागाध्यक्ष, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. डा० वी० राघवन,
संस्कृत विभागाध्यक्ष,
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास।
9. डा० ए० एम० डी० रोज़ारिओ,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
शिक्षा मंत्रालय।
10. श्री प्रेम नारायण,
उप-वित्त सलाहकार (शिक्षा),
भारत सरकार।

सचिव

11. डा० राम करण शर्मा,
विशेषाधिकारी (संस्कृत),
शिक्षा मंत्रालय

(ख) सदस्य मनोनीत होते हैं।

(ग) केन्द्रीय संस्कृत मंडल भारत सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देता है :—

(1) देश में संस्कृत के प्रचार और विकास से सम्बन्धित नीति के मामलों पर ;